भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 420
गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कोयम्बटूर विमानपत्तन का नाम बदलना

***420. श्री तमिलसेल्वन थंगा:**
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम बदलने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"कोयम्बटूर विमानपत्तन का नाम बदलना" के संबंध में श्री तमिलसेल्वन थंगा और डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 420 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) **:** सामान्यतः, हवाईअड्डों को उस शहर के नाम से जाना जाता है जहां वे स्थित हैं, जब तक कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य की विधान सभा में पारित संकल्प द्वारा समर्थित कोई अन्य विशिष्ट नाम प्रस्तावित न किया जाए, जिस पर अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार किया जाता है और तत्पश्चात अंतिम अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाता है। कोयम्बटूर हवाईअड्डे का नाम बदलने के संबंध में कोई प्रस्ताव तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

******